कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज।

पत्र संख्याः– सीएफओ/एफएस/स्कूल/2020 दिनॉकः–फरवरी,18,2020

सेवा में,

प्रबन्धक/आवेदक,
किस्टी मेमोरियल स्कूल एण्ड कालेज,
हथिगन पुरवा खास कर्मा, प्रयागराज।

विषय– किस्टी मेमोरियल स्कूल एण्ड कालेज, हथिगन पुरवा खास कर्मा, प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक किस्टी मेमोरियल स्कूल एण्ड कालेज, हथिगन पुरवा खास कर्मा, प्रयागराज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्कूल एण्ड कालेज भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणो का परीक्षण तथा निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1– स्कूल भवन प्रथम व द्वितीय तल तक निर्मित है। जिसमें दो जीना उपलब्ध है। स्थल तक अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ जा सकते है।

2– फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 मानक 2190 के अनुसार उपलब्ध एंव कार्यशील दशा में पाये गयें।

3– भवन में होजरील, लैण्डिंग वाल्व तथा भवन की टेरिस पर 10,000 ली0 का टैंक व 450 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित किया जाय।

4– भवन में निकास मार्ग उपलब्ध हैं। फायर स्टेशन का मो0नं0 अकित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध/प्रस्तावित अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैं।

1– प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थओ का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना अपेक्षित है।

2– किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना अपेक्षित है।

4–प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियो को प्रदान की जाना अपेक्षित है

5– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

6– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

7– अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

18/2

(आर0एस0मिश्र)
(रवीन्द्र शंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।
प्रयागराज